अनुसूचि 14 फार्म सं0–102

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

सुकरा पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–तेतरिया न0 70

आदेश–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख...जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 30 / 2019–20

आदेशकी क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बार टिप्पणी और तार्र सहित
1	2	3
8.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 531/रा0 दिनांक 30.07.2019 के द्वारा मौजा– तेतरिया न0 70 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– तेतरिया न0 70 में दिनांक 15.07.2019 को श्री झोपरो पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री सुकरा पहाडिया, पिता–स्व0 कलिया पहाडिया, ग्राम– तेतरिया, को मौजा– तेतरिया न0 70 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– तेतरिया न0 70 बेचिरागी मौजा है। जिसके रैयत के वारिसान अगल–बगल के ग्रामों में निवास करते हें। उक्त मौजा एक प्रधानी मौजा है। जिसक पूर्व प्रधान कलिया पहाडिया थे। जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री सुकरा पहाडिया पिता–स्व0 कलिया पहाडिया, ग्राम–तेतरिया, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री सुकरा पहाडिया पूर्व प्रधान स्व0 कलिया पहाडिया का पुत्र है। अतएव श्री सुकरा पहाडिया प्रधान बनने योग्य है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री सुकरा पहाडिया को मौजा– तेतरिया थाना न0 70में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 365/ल0 दिनांक 8-8-19

Scanned with CamScanner